

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 60/2025

दर्ज दिनांक 22.04.2025

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2025/108

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. काली पुत्री बालु पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्ती पुत्री बालु पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जमना पुत्री हरा पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण पुत्र हरा पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हेमराज पुत्र हरा पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक:- 16/3/2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 08.12.2025 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :-

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	नाथड़ियास	307	1385	0.28
2	नाथड़ियास	307	1447	0.91
3	नाथड़ियास	307	1448	0.29
4	नाथड़ियास	307	1449	0.55



सहायक कलक्टर
(राज.)


5	नाथड़ियास	307	1451	0.45
6	नाथड़ियास	307	1459	0.46
7	नाथड़ियास	307	1462	0.16
8	नाथड़ियास	307	1822	0.07
9	नाथड़ियास	307	1823	0.08
10	नाथड़ियास	307	1824	0.02
11	नाथड़ियास	307	1835	0.30
कुल किता कुल रकबा			11	3.57

उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर न्यूनतम 8-10 फीट रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/204 दिनांक 17.02.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	1. काली पुत्री बालू 1/2 पिनारा सा.देह 2. शान्ति पत्नि बालू 1/2 पिनारा सा.देह	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1447/2	0.01
			1448/2	0.05
			1449/2	0.51
			1822/1	0.05
			1823/1	0.04
			1835/1	0.20
		योग	6	0.86
2	1. लक्ष्मण पुत्र हरा 1/3 पिनारा रहन बीओबी शाखा रायपुर 2. हेमराज पुत्र हरा 1/3 पिनारा रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर 3. जमना पुत्री हरा 1/3 पिनारा सा.देह	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1385	0.28
			1447/1	0.90
			1448/1	0.24
			1449/1	0.04
			1451/2	0.43
			1459/2	0.42
			1822/2	0.02
			1823/2	0.04
1835/2	0.04			
		1462	0.16	




जयपुर जिले
(जयपुर जिले)


			1824	0.02
		योग	11	2.59
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम नाथडियास (खाता संख्या 307)	1451/1 1451/3 1459/1 1459/3 1835/3	0.01 0.01 0.02 0.02 0.06
		योग	5	0.12

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।


 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (श्रीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 16/3/20 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (श्रीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 60/2025

दर्ज दिनांक 22.04.2025

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2025/108

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. काली पुत्री बालु पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्ती पुत्री बालु पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जमना पुत्री हरा पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण पुत्र हरा पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हेमराज पुत्र हरा पीनारा निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)


निर्णय दिनांक : 16/3/26


डिक्री दिनांक : 16/3/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री फारुख मोहम्मद मन्सूरी, व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. काली पुत्री बालू 1/2 पिनारा सा.देह 2. शान्ति पत्नि बालू 1/2 पिनारा सा.देह	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1447/2	0.01
			1448/2	0.05
			1449/2	0.51
			1822/1	0.05
			1823/1	0.04
			1835/1	0.20
	योग	6	0.86	





 सहायक कलक्टर
 (राजस्व) रायपुर

2	1. लक्ष्मण पुत्र हरा 1/3 पिनारा रहन बीओवी शाखा रायपुर 2. हेमराज पुत्र हरा 1/3 पिनारा रहन बीआरकेजीवी शाखा रायपुर 3. जमना पुत्री हरा 1/3 पिनारा सा.देह	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1385	0.28
			1447/1	0.90
			1448/1	0.24
			1449/1	0.04
			1451/2	0.43
			1459/2	0.42
			1822/2	0.02
			1823/2	0.04
			1835/2	0.04
			1462	0.16
	1824	0.02		
	योग	11	2.59	
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1451/1	0.01
			1451/3	0.01
			1459/1	0.02
			1459/3	0.02
			1835/3	0.06
	योग	5	0.12	


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।


नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/3/26 को जारी किया गया।


(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		




सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)